IFC International Finance Corporation
WORLD BANK GROUP
Creating Markets, Creating Opportunities

GCF-IFC स्केलिंग रेज़िलिएंट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ैसिलिटी

E&S प्रबंधन फ्रेमवर्क[1]

मार्च 2024

[1] IFC के स्थायित्व फ्रेमवर्क और इस ESMF में उल्लिखित अन्य संबंधित दस्तावेज़ों से संबंधित टेक्स्ट IFC द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से लिया गया है और इन दस्तावेज़ों के पूर्ण सेट तक पहुँचने के लिए ये यहाँ Policies and Standards (ifc.org) पर मिल सकते हैं । फ़ैसिलिटी के E&S प्रबंधन फ्रेमवर्क के अर्थ में संदेह के मामले में इसका अंग्रेज़ी संस्करण अन्य अनुवादित संस्करणों से अग्रता लेगा। कृपया ध्यान दें कि वास्तव में IFC की प्रकाशित नीतियाँ अग्रता लेंगी, क्योंकि यह सिर्फ़ एक सारांश है।

विषय-सूची

I. भूमिका 3
A. फ़ैसिलिटी का ओवरव्यू 3
II. सुविधा के तहत E&S जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण 4
A. पर्यावरण और सामाजिक स्थायित्व पर IFC की नीति 5
B. IFC निष्पादन मानक (2012) 5
1. निष्पादन मानक 1: पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का आकलन और प्रबंधन 6
2. निष्पादन मानक 2: श्रम और कार्य की स्थितियाँ 9
3. निष्पादन मानक 3: संसाधन कुशलता और प्रदूषण की रोकथाम 9
4. निष्पादन मानक 4: सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, और सुरक्षा 10
5. निष्पादन मानक 5: भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास 10
6. निष्पादन मानक 6: जैव विविधता संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी प्रबंधन 11
7. निष्पादन मानक 7: देशीय लोग 12
8. निष्पादन मानक 8: सांस्कृतिक विरासत 13
III. IFC निष्पादन मानकों के लिए मार्गदर्शन नोट्स 14
IV. WBG EHS दिशानिर्देश 14
A. सामान्य EHS दिशानिर्देश 14
B. जल और स्वच्छता के लिए पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशानिर्देश (2007) 15
V. लिंग 16
VI. परियोजना की तैयारी और कार्यान्वयन के दौरान E&S जोखिम प्रबंधन 16
A. पर्यावरण और सामाजिक उचित जाँच-पड़ताल 16
1. प्रत्यक्ष निवेश 17
B. पर्यावरण और सामाजिक वर्गीकरण 19
C. पर्यवेक्षण 19
VII. सूचना नीति तक पहुँच (AIP) 20
VIII. शिकायत निवारण 21
A. IFC शिकायत निवारण तंत्र 21
B. अनुपालन सलाहकार/लोकपाल 21
परिशिष्ट 1. मुख्य संदर्भ दस्तावेज़ 22

I. भूमिका

इस दस्तावेज़ में पर्यावरण और सामाजिक (E&S) प्रबंधन फ़्रेमवर्क (ESMF) का वर्णन किया गया है, जिसका GCF-IFC स्केलिंग रेज़िलिएंट वाटर इंफ़्रास्ट्रक्चर फ़ैसिलिटी (फ़ैसिलिटी) के तहत पालन किया जाएगा। ESMF में IFC के स्थायित्व फ़्रेमवर्क, मौजूदा पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन नीतियों और कार्य-विधियाँ के प्रमुख पहलुओं का सिंहावलोकन दिया गया है, जो परियोजना स्तर की उचित जाँच-पड़ताल, पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों की पहचान, IFC के निष्पादन मानकों (PSs) के अनुसार किसी संभावित अंतराल के लिए आकलन, और प्रत्येक परियोजना स्तर इकाई द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं की निगरानी और पर्यवेक्षण का मार्गदर्शन करेगा जो फ़ैसिलिटी की आय से लाभ लेते हैं।

A. फ़ैसिलिटी का ओवरव्यू

यह फ़ैसिलिटी जल की कमी को दूर करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए जल अवसंरचना के लचीलेपन को बढ़ाने और GHG उत्सर्जन को कम करने के लिए लचीली जल अवसंरचना (RWI) विकसित करने के लिए प्रोग्राम संबंधी दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण जलवायु प्रभाव की दिशा में जल और स्वच्छता अवसंरचना को मूल्यवान नए परिसंपत्ति वर्ग में बदलने के लिए परियोजनाओं का समर्थन करेगा। इसका उद्देश्य लक्षित देशों की अनुकूलन और शमन योजनाओं के साथ संरेखित RWI परियोजनाओं में लागत-प्रतिस्पर्धी और स्थायी सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ाना और UN SDGs 3, 6, 7, 13, 14 और 17 में सक्रिय रूप से योगदान करना है। RWI में निवेश करने से नए व्यापार मॉडल की व्यवहार्यता का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा, जो उच्च स्केलेबिलिटी और प्रतिकृति की संभावना के साथ निजी पूंजी को आकर्षित करेगा।

इस फ़ैसिलिटी के लिए सांकेतिक लक्षित देश अंगोला, अज़रबैजान, बांग्लादेश, ब्राजील, कोटे डी आइवर, मिस्र, गैबॉन, भारत, इंडोनेशिया, मोरक्को, पाकिस्तान, सर्बिया, और उज़्बेकिस्तान।

प्रोग्राम की गतिविधियाँ दो घटकों के तहत होंगी:

1. **सार्वजनिक निजी साझेदारी (PPP) संरचना सुविधा:** यह सुविधा अनुदान है, जो परियोजना की तैयारी और परिभाषा गतिविधियों, लेनदेन सलाहकार गतिविधियों का समर्थन करेगी और ज्ञान हस्तांतरण, अंतर्दृष्टियाँ साझा करने, सर्वोत्तम प्रथाओं और सीखे गए पाठों को सुविधाजनक बनाएगा। इससे व्यवस्थित परियोजना तैयार करने और सलाहकार समर्थन को सक्षम किया जा सकेगा, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ बाज़ार में अधिक परियोजनाएँ लाने में मदद मिलेगी। यह परियोजना की तैयारी के लिए सार्वजनिक धन की कमी और बड़े स्केल पर जल परियोजनाओं की योजना बनाने और तैयार करने के लिए अपर्याप्त क्षमता जैसी प्रमुख बाधाओं पर कार्रवाई करने में सहायता करेगा।

2. **मिश्रित वित्त सुविधा:** यह सुविधा ऋण है, जिसे पात्र जल परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं में नियोजित किया जा सकता है और यह महत्वपूर्ण व्यवहार्यता अंतराल और अन्य संबंधित चुनौतियों को समाप्त करने में मदद करेगा।

फ़ैसिलिटी द्वारा समर्थित परियोजनाओं के प्रकार में शामिल होंगे:

1. **पारंपरिक जल संसाधन:** थोक जल आपूर्ति, पंपिंग स्टेशन, वाहन पाइप, जल उपचार संयंत्र, वितरण प्रणाली, आदि।
2. **अपशिष्ट जल उपचार:** सीवेज नेटवर्क, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का निर्माण/पुनर्वास, आदि।
3. **अपरंपरागत जल संसाधन:** अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, अलवणीकरण, आदि।
4. **गैर-राजस्व जल (NRW) में कमी:** भौतिक और वाणिज्यिक हानि में कमी से संबंधित परियोजनाएँ।

II. सुविधा के तहत E&S जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण

ESMF, IFC के सस्टेनेबिलिटी फ़्रेमवर्क से बना होगा, जिसमें (a) पर्यावरण और सामाजिक स्थायित्व पर नीति, (b) आठ निष्पादन मानक, (c) सूचना नीति तक पहुँच (AIP); IFC द्वारा अपने ग्राहकों को अपनी E&S नीतियों के संबंध में सहायता करने के लिए तैयार किए गए संबंधित मार्गदर्शन नोट्स, अच्छी प्रथा नोट्स और अन्य सामग्री; विश्व बैंक समूह (WBG) पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा (EHS) दिशानिर्देश; CAO नीति; और अन्य संबंधित दस्तावेज़ शामिल हैं (अनुलग्नक 1 देखें)।

ESMF का उद्देश्य फ़ैसिलिटी द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का आकलन और शमन करना है।

IFC का स्थायित्व फ़्रेमवर्क स्थायी विकास के लिए कॉर्पोरेशन की रणनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, और यह जोखिम प्रबंधन के लिए IFC के दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है। स्थायित्व फ़्रेमवर्क में पर्यावरण और सामाजिक स्थायित्व पर IFC की नीति और निष्पादन मानकों, और IFC की सूचना नीति तक पहुँच शामिल है। पर्यावरण और सामाजिक स्थायित्व पर नीति में IFC की प्रतिबद्धताओं, भूमिकाओं, और पर्यावरणीय और सामाजिक स्थायित्व से संबंधित दायित्वों का वर्णन है। IFC की सूचना नीति तक पहुँच IFC की संचालन में पारदर्शिता और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, और अपने निवेश और सलाहकार सेवाओं के बारे में कॉर्पोरेशन के संस्थागत प्रकटीकरण दायित्वों को रेखांकित करती है। निष्पादन मानकों को ग्राहकों की ओर निर्देशित किया जाता है, जो जोखिमों और प्रभावों की पहचान करने के तरीके पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, और इन्हें स्थायी तरीके से व्यापार करने के तरीके के रूप में जोखिम और प्रभावों से बचने, इनका शमन करने, और प्रबंधित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें परियोजना-स्तर की गतिविधियों के संबंध में हितधारक संलग्नता और ग्राहक के प्रकटीकरण दायित्व शामिल हैं। IFC अपने समग्र विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कॉर्पोरेशन की व्यापारिक गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए अन्य रणनीतियों, नीतियों, और पहलों के साथ स्थायित्व फ़्रेमवर्क का उपयोग करता है।[2]

विशेष रूप से, निष्पादन मानक IFC निवेश और सलाहकार ग्राहकों को जोखिम और परिणाम-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से अपने पर्यावरण और सामाजिक निष्पादन का प्रबंधन और सुधार करने में मदद करने के लिए है। वांछित परिणामों को प्रत्येक निष्पादन मानक के उद्देश्यों में वर्णित किया गया है, और इसके बाद ग्राहकों को इन परिणामों को उन साधनों के माध्यम से प्राप्त करने में मदद करने के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है, जो गतिविधि की प्रकृति और स्केल के लिए उपयुक्त हैं और पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और/या प्रभावों के स्तर के अनुरूप हैं। इन आवश्यकताओं के केंद्र में केंद्रीय कर्मियों, समुदायों, और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों का अनुमान लगाने और उनसे बचने, या जहाँ बचना संभव नहीं है, उसे न्यूनतम करने, और जहाँ अवशिष्ट प्रभाव रहते हैं, वहाँ जोखिम और प्रभावों के लिए क्षतिपूर्ति/ऑफ़सेट के लिए शमन पदानुक्रम का अनुप्रयोग है, जैसा उपयुक्त हो।[3] सहमति की सलाहकार गतिविधि के दायरे में, सभी सलाह और प्रशिक्षण निष्पादन मानकों के अनुरूप होंगे।

[2] IFC स्थायित्व फ़्रेमवर्क (worldbank.org)
[3] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/publications-policy-sustainability-2012

जबकि इस दस्तावेज़ में ESMF के विभिन्न खंडों के सारांश प्रदान किए गए हैं, लेकिन IFC परियोजनाओं पर लागू पूरी नीतियों और मानकों को निर्धारित करने के लिए इसके घटक भागों के पूर्ण टेक्स्ट और संबंधित दस्तावेज़ों का संदर्भ लिया जाना चाहिए। कृपया इन्हें Policies and Standards (ifc.org) पर देखें

इसके अलावा, चूँकि यह बहु-देश, बहु-वर्षीय प्रोग्राम है, इसलिए विशिष्ट पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम और प्रभाव केवल तभी पता चलेंगे, जब प्रत्येक घटक के तहत परियोजनाएँ चुनी जाएँगी। मगर, IFC के विस्तृत और मजबूत E&S उचित जाँच-पड़ताल और पर्यवेक्षण कार्य-विधियाँ मौजूद हैं, जिन्हें परियोजना विशिष्ट पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों और संबंधित शमन उपायों का आकलन करने के लिए लागू किया जाएगा, जिसमें जोखिम, प्रभाव और शमन से संबंधित लिंग अंतर पर विचार करना शामिल है। उचित जाँच-पड़ताल चरण के दौरान परियोजना स्तर के पर्यावरण और सामाजिक जोखिम और प्रभावों की पहचान की जाएगी और निवेश काल के दौरान उनकी निगरानी की जाएगी।

A. पर्यावरण और सामाजिक स्थायित्व पर IFC की नीति[4]

IFC की स्थायित्व प्रतिबद्धताओं, भूमिकाओं और दायित्वों, साझेदारों के साथ सहयोग और अभिशासन और प्रकटीकरण पर विशिष्ट पहल का वर्णन करता है।

इस नीति के अलावा, IFC अपने कर्मचारियों और ग्राहकों की सहायता करने के लिए अन्य सामग्री को संदर्भित करता है, जिनमें शामिल हैं:

- IFC की सूचना नीति तक पहुँच, जिसमें सूचना के प्रकटीकरण के लिए IFC की संस्थागत आवश्यकताओं का विवरण दिया गया है;
- IFC के निष्पादन मानक;
- IFC के निष्पादन मानकों के मार्गदर्शन नोट्स, जो निष्पादन मानकों के साथ आने वाले दस्तावेज़ हैं, जो निष्पादन मानकों में निहित आवश्यकताओं (संदर्भ सामग्री सहित) और साथ ही व्यापारिक निष्पादन और विकास परिणामों में सुधार के लिए अच्छी स्थायित्व प्रथाओं पर सहायक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं;
- निष्पादन मानक के अनुरूप क्षेत्र और उद्योग प्रथाओं और निष्पादन स्तर पर विश्व बैंक समूह के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशानिर्देश; और
- अच्छी प्रथा नोट्स, हैंडबुक्स, और अन्य सामग्री, जो GIIP के उदाहरण और इन प्रथाओं के बारे में संदर्भ जानकारी प्रदान करती है।

B. IFC निष्पादन मानक (2012)

ये निष्पादन मानक IFC निवेश और सलाहकार ग्राहकों को जोखिम और परिणाम-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से अपने पर्यावरण और सामाजिक निष्पादन का प्रबंधन और सुधार करने में मदद करते हैं। वांछित परिणामों को प्रत्येक निष्पादन मानक के उद्देश्यों में वर्णित किया गया है, और इसके बाद ग्राहकों को इन परिणामों को उन साधनों के माध्यम से प्राप्त करने में मदद करने के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है, जो गतिविधि की प्रकृति और स्केल के लिए उपयुक्त हैं और पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और/या प्रभावों के स्तर के अनुरूप हैं। इन आवश्यकताओं के केंद्र में केंद्रीय कर्मियों, समुदायों, और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों का अनुमान लगाने और उनसे बचने, या जहाँ बचना

[4] https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/publications-policy-sustainability-2012

संभव नहीं है, उसे न्यूनतम करने, और जहाँ अवशिष्ट प्रभाव रहते हैं, वहाँ जोखिम और प्रभावों के लिए क्षतिपूर्ति/ऑफ़सेट के लिए शमन पदानुक्रम का अनुप्रयोग है, जैसा उपयुक्त हो। IFC का मानना है कि निष्पादन मानक ठोस आधार भी प्रदान करते हैं, जिस पर ग्राहक अपने संचालन का समग्र स्थायित्व बढ़ा सकते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए अवसरों की पहचान कर सकते हैं, और बाज़ार-स्थल में अपने प्रतिस्पर्धी लाभ का निर्माण कर सकते हैं। जबकि निष्पादन मानकों के अनुरूप तरीके से पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का प्रबंधन करना ग्राहक का दायित्व है, IFC अपनी उचित जाँच-पड़ताल, निगरानी, और पर्यवेक्षण प्रयासों के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जिन व्यापारिक गतिविधियों का यह वित्त-पोषण करता है, उन्हें निष्पादन मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। परिणामस्वरूप, प्रस्तावित व्यापारिक गतिविधि की IFC की पर्यावरण और सामाजिक उचित जाँच-पड़ताल का परिणाम इसकी स्वीकृति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारक है, और यह IFC वित्त-पोषण के पर्यावरण और सामाजिक स्थितियों के दायरे का निर्धारण करेगा। इस नीति पर क़ायम रहकर, IFC (i) अपनी कार्रवाइयों और निर्णय लेने की अनुमान-क्षमता, पारदर्शिता, और जवाबदेही को बढ़ाना चाहता है; (ii) ग्राहकों को अपने पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का प्रबंधन करने और उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना चाहता है; और (iii) जमीन पर सकारात्मक विकास परिणामों को बढ़ाना चाहता है।[5]

साथ मिलकर, आठ निष्पादन मानक वे मानक स्थापित करते हैं, जिन्हें ग्राहक IFC द्वारा निवेश के समूचे काल में पूरा करना होता है:

1. निष्पादन मानक 1: पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का आकलन और प्रबंधन

निष्पादन मानक 1 उन सभी परियोजनाओं पर लागू होता है, जिनमें पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम और प्रभाव होते हैं। परियोजना की परिस्थितियों के आधार पर, अन्य निष्पादन मानक भी लागू हो सकते हैं। निष्पादन मानकों को आवश्यकता के अनुसार एक साथ पढ़ा और परस्पर-संदर्भित किया जाना चाहिए। प्रत्येक निष्पादन मानक का आवश्यकता अनुभाग परियोजना के तहत वित्त-पोषित सभी गतिविधियों पर लागू होता है, जब तक प्रत्येक अनुच्छेद में वर्णित विशिष्ट सीमाओं में अन्यथा उल्लेख नहीं किया जाता। ग्राहकों को अपनी सभी परियोजना गतिविधियों के लिए निष्पादन मानक 1 के तहत विकसित ESMS लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, चाहे वित्त-पोषण स्रोत कोई भी हो। जलवायु परिवर्तन, लिंग, मानवाधिकार, और जल जैसे कई परस्पर-मिश्रित विषयों पर कई निष्पादन मानकों में शामिल किया गया है।

निष्पादन मानक 1 (i) पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों, जोखिमों, और परियोजनाओं के अवसरों की पहचान करने के लिए एकीकृत आकलन; (ii) परियोजना से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण और उन मामलों पर स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श के माध्यम से प्रभावी सामुदायिक संलग्नता, जो सीधे उन्हें प्रभावित करते हैं; और (iii) समूचे परियोजना काल में पर्यावरण और सामाजिक निष्पादन के ग्राहक के प्रबंधन के महत्व को स्थापित करता है। निष्पादन मानक 1 उन सभी परियोजनाओं पर लागू होता है, जिनमें पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम और प्रभाव होते हैं। परियोजना की परिस्थितियों के आधार पर, अन्य निष्पादन मानक भी लागू हो सकते हैं। निष्पादन मानकों के तहत आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा, ग्राहकों को लागू राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मेजबान देश के दायित्वों को लागू करने वाले कानून शामिल हैं।

निष्पादन मानक 1 समूचे परियोजना काल में पर्यावरण और सामाजिक निष्पादन के प्रबंधन के महत्व को रेखांकित करता है। प्रभावी पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ESMS) गतिशील और प्रबंधन द्वारा शुरू की गई और समर्थित

[5] IFC स्थायित्व नीति (2012)

निरंतर प्रक्रिया है, और इसमें ग्राहक, उसके कर्मियों, परियोजना से सीधे स्थानीय समुदायों (प्रभावित समुदायों) और, जहाँ उपयुक्त हो, अन्य हितधारकों के बीच संलग्नता शामिल होती है। "योजना बनाएँ, करें, जाँच करें, और कार्रवाई करें" की स्थापित व्यापार प्रबंधन प्रक्रिया के तत्वों पर के आधार पर, ESMS सतत आधार पर संरचित तरीके से पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों के प्रबंधन के लिए पद्धतिगत दृष्टिकोण को शामिल करता है। परियोजना की प्रकृति और स्केल के लिए उपयुक्त अच्छा ESMS ठोस और स्थायी पर्यावरण और सामाजिक निष्पादन को बढ़ावा देता है, और बेहतर वित्तीय, सामाजिक, और पर्यावरणीय परिणामों की ओर ले जा सकता है।

PS 1 के उद्देश्य हैं: (i) परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों की पहचान और मूल्यांकन करना; (ii) पूर्वानुमान और बचने के लिए शमन पदानुक्रम को अपनाना, या जहाँ बचना संभव नहीं है, न्यूनतम करना, और, जहाँ अवशिष्ट प्रभाव बने रहते हैं, वहाँ कर्मियों, प्रभावित समुदायों, और पर्यावरण को जोखिमों और प्रभावों के लिए क्षतिपूर्ति/ऑफ़सेट करना; (iii) प्रबंधन प्रणालियों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से ग्राहकों के बेहतर पर्यावरणीय और सामाजिक निष्पादन को बढ़ावा देना; (iv) सुनिश्चित करना कि प्रभावित समुदायों की शिकायतों और अन्य हितधारकों से बाहरी संचार का उचित रूप से जवाब दिया जाता है और प्रबंधित किया जाता है; (v) उन मुद्दों पर समूचे परियोजना चक्र में प्रभावित समुदायों के साथ पर्याप्त संलग्नता के लिए साधन प्रदान करना और उन्हें बढ़ावा देना, जो संभावित रूप से उन्हें प्रभावित कर सकते हैं और सुनिश्चित करना कि संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक जानकारी का खुलासा और प्रसार किया जाता है।

ग्राहक उन पर्यावरणीय और सामाजिक उद्देश्यों और सिद्धांतों को परिभाषित करने वाली व्यापक नीति स्थापित करेगा, जो ठोस पर्यावरण और सामाजिक निष्पादन को प्राप्त करने के लिए परियोजना का मार्गदर्शन करते हैं। यह नीति पर्यावरण और सामाजिक आकलन और प्रबंधन प्रक्रिया के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करती है, और निर्दिष्ट करती है कि परियोजना (या व्यापारिक गतिविधियाँ, जैसा उपयुक्त हो) उन न्याय-क्षेत्रों के लागू कानूनों और विनियमों का पालन करेगी, जिनमें इसे किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मेजबान देश के दायित्वों को लागू करने वाले कानून शामिल हैं।

a) परियोजना-स्तरीय हितधारक संलग्नता[6]

हितधारक ऐसे व्यक्ति या समूह होते हैं, जो परियोजना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, और साथ ही वे जिनकी परियोजना में रुचि हो सकती है और/या या तो सकारात्मक या नकारात्मक रूप से इसके परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता हो सकती है। हितधारकों में स्थानीय रूप से प्रभावित समुदाय या व्यक्ति और उनके औपचारिक और अनौपचारिक प्रतिनिधि, राष्ट्रीय या स्थानीय सरकारी अधिकारी, राजनेता, धार्मिक नेता, विशेष हितों वाले नागरिक समाज संगठन और समूह, शैक्षणिक समुदाय, या अन्य व्यापार शामिल हो सकते हैं।

इन अलग-अलग व्यक्तियों या समूहों में से प्रत्येक का परियोजना या निवेश में भिन्न-भिन्न "हित" हो सकता है। उदाहरण के लिए, ऐसे लोग हो सकते हैं, जो परियोजना के संभावित पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभावों से सीधे प्रभावित होते हैं। अन्य लोग पूरी तरह से अन्य देश के निवासी हो सकते हैं, लेकिन परियोजना की कंपनी को अपनी चिंताओं या सुझावों को संप्रेषित करना चाहते हैं। फिर ऐसे लोग हैं, जो परियोजना पर बहुत प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे सरकारी नियामक, राजनीतिक या धार्मिक नेता, और स्थानीय समुदाय में सक्रिय अन्य लोग। ऐसे हितधारक भी हैं, जो अपने ज्ञान या कद के कारण, परियोजना में सकारात्मक योगदान कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, रिश्तों की मध्यस्थता में ईमानदार मध्यस्थ के रूप में काम करके।

---

[6] विवरण के लिए हितधारक संलग्नता देखें: उभरते बाज़ारों में व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए अच्छी प्रथा हैंडबुक https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/ifc-stakeholderengagement1.pdf पर उपलब्ध है

हितधारक संलग्नता व्यापक शब्द है, जिसमें परियोजना काल पर कई गतिविधियों और इंटरेक्शन शामिल हैं। इन्हें आठ घटकों में विभाजित किया जा सकता है:

- हितधारक पहचान और विश्लेषण
- सूचना प्रकटीकरण
- हितधारक परामर्श
- समझौते और साझेदारियाँ
- शिकायत प्रबंधन
- परियोजना निगरानी में हितधारक की भागीदारी
- हितधारकों के लिए रिपोर्टिंग
- प्रबंधन प्रकार्य

b) परियोजना-स्तरीय शिकायत तंत्र[7]

शिकायत तंत्र सामाजिक और पर्यावरणीय स्थायित्व पर नीति और निष्पादन मानकों के तहत ग्राहकों द्वारा सामुदायिक संलग्नता से संबंधित आवश्यकताओं के लिए IFC के दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जहाँ यह अनुमान लगाया जाता है कि नई परियोजना या कंपनी के मौजूदा संचालन में आसपास के समुदायों पर सतत जोखिम और प्रतिकूल प्रभाव शामिल होंगे, ग्राहक को ग्राहक के पर्यावरणीय और सामाजिक निष्पादन के बारे में प्रभावित समुदायों की चिंताओं और शिकायतों को प्राप्त करने और उनके समाधान में सुविधा देने के लिए शिकायत तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी। शिकायत तंत्र को परियोजना के जोखिमों और प्रतिकूल प्रभावों के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, चिंताओं पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, समझने योग्य और पारदर्शी प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो और प्रभावित समुदायों के सभी वर्गों के लिए सुलभ हो, और ऐसा समुदायों के लिए बिना किसी कीमत पर और बिना प्रतिशोध के करना चाहिए। तंत्र को न्यायिक और प्रशासनिक उपायों तक पहुँच को बाधित नहीं करना चाहिए। अपनी सामुदायिक संलग्नता प्रक्रिया (PS 1, अनुच्छेद 23) के दौरान ग्राहक प्रभावित समुदायों को तंत्र के बारे में सूचित करेगा।

शिकायत तंत्र को IFC के निष्पादन मानकों द्वारा कवर किए गए अधिकांश सामुदायिक मुद्दों से निपटने में सक्षम होना चाहिए। प्रभावित समुदायों के संबंध में शिकायत तंत्र आवश्यकताओं को सुरक्षा कर्मियों (PS 4, अनुच्छेद 13), भूमि अधिग्रहण (PS 5, अनुच्छेद 10), और देशीय लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव (PS 7, अनुच्छेद 9) के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया गया है। अतिरिक्त मार्गदर्शन संबंधित मार्गदर्शन नोट्स में प्रदान किया गया है। IFC ग्राहक कंपनियों को परियोजना के जोखिमों और प्रतिकूल प्रभावों की सीमा के अनुसार तंत्र को डिजाइन करने के लिए कहा जाएगा। समुदायों पर प्रभावों का मूल्यांकन परियोजना के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय आकलन के भीतर किया जाता है।

इस आकलन के परिणामों के आधार पर, IFC के परियोजना प्रायोजकों को अपने सामाजिक और पर्यावरण प्रबंधन और सामुदायिक संलग्नता को विकसित करने या सुधारने, और अपनी कार्य योजनाओं में उचित कदम शामिल करने की आवश्यकता हो सकती है। तथापि, आकलन प्रक्रिया के दौरान परियोजना काल से उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों का अनुमान और पूर्वाधिकृत नहीं किया जा सकता। जबकि व्यापक सामाजिक और पर्यावरणीय आकलन भविष्य में शिकायतों की संभावना और मात्रा को कम करने के लिए काम कर सकता है, लेकिन सामुदायिक शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए तंत्र की आवश्यकता हमेशा मौजूद रहेगी। IFC शिकायत प्रबंधन को सभी ग्राहकों के लिए हितधारक संलग्नता के स्तंभों में से एक के रूप में देखता है। शिकायत तंत्र सूचित और पूरक करते हैं, लेकिन हितधारक संलग्नता के अन्य रूपों को

[7] अधिक जानकारी के लिए परियोजना से प्रभावित समुदायों की शिकायतों के समाधान के बारे में अच्छी प्रथा नोट देखें यह https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/ifc-grievance-mechanisms.pdf पर उपलब्ध है।

प्रतिस्थापित नहीं करते। हितधारकों की साझेदारी में हितधारक पहचान और विश्लेषण, सूचना प्रकटीकरण, हितधारक परामर्श, मोलभाव और साझेदारियाँ, परियोजना निगरानी में हितधारक की साझेदारी और हितधारकों को रिपोर्ट करना भी शामिल होता है।

निष्पादन मानक 1 और इसके संबंधित कार्यान्वयन संसाधनों के पूर्ण टेक्स्ट तक निम्नलिखित लिंक के माध्यम से पहुँच जा सकता है: https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-1

2. निष्पादन मानक 2: श्रम और कार्य की स्थितियाँ

निष्पादन मानक 2 यह स्वीकार करता है कि रोजगार सृजन और आय सृजन के माध्यम से आर्थिक विकास की खोज के साथ कर्मियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी होनी चाहिए । किसी व्यापार के लिए, कार्यबल मूल्यवान संपत्ति होता है, और ठोस कर्मी-प्रबंधन संबंध कंपनी के स्थायित्व में महत्वपूर्ण घटक होता है। ठोस कर्मी-प्रबंधन संबंध स्थापित करने और उसे बढ़ावा देने में विफलता कर्मी प्रतिबद्धता और प्रतिधारण को कमज़ोर कर सकती है, और परियोजना को खतरे में डाल सकती है। इसके विपरीत, रचनात्मक कर्मी-प्रबंधन संबंध के माध्यम से, और कर्मियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करके और उन्हें सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद कामकाजी परिस्थितियाँ प्रदान करके, जैसे उनके संचालन की कुशलता और उत्पादकता में वृद्धि करके, ग्राहक ठोस लाभ बना सकते हैं। इस निष्पादन मानक में निर्धारित आवश्यकताओं को आंशिक रूप से कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों और साधनों द्वारा निर्देशित किया गया है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और संयुक्त राष्ट्र (UN) शामिल हैं। PS 2 के उद्देश्य हैं: (i) कर्मियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार, गैर-भेदभाव, और समान अवसर को बढ़ावा देना। (ii) कर्मी-प्रबंधन संबंध स्थापित करना, बनाए रखना, और उनमें सुधार करना। (iii) राष्ट्रीय रोजगार और श्रम कानूनों के अनुपालन को बढ़ावा देना। (iv) कर्मियों की रक्षा करना, जिनमें बच्चे, प्रवासी कर्मी, तृतीय पक्ष द्वारा नियोजित कर्मी, और ग्राहक की आपूर्ति श्रृंखला में कर्मियों जैसी कमज़ोर श्रेणियाँ शामिल हैं। (iv) सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद कामकाजी स्थितियों, और कर्मियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। (v) बलात श्रम के उपयोग से बचना।

निष्पादन मानक 2 और इसके संबंधित कार्यान्वयन संसाधनों के पूर्ण टेक्स्ट तक निम्नलिखित लिंक के माध्यम से पहुँच जा सकता है: https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-2

3. निष्पादन मानक 3: संसाधन कुशलता और प्रदूषण की रोकथाम

निष्पादन मानक 3 स्वीकार करता है कि बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि और शहरीकरण अकसर वायु, जल और भूमि के लिए प्रदूषण के स्तर में वृद्धि करते हैं, और परिमित संसाधनों का इस तरह से उपभोग करते हैं, जो स्थानीय, क्षेत्रीय, और वैश्विक स्तर पर लोगों और पर्यावरण को खतरे में डाल सकता है। इस बारे में बढ़ती वैश्विक सहमति भी है कि ग्रीनहाउस गैसों (GHG) की वर्तमान और अनुमानित वायुमंडलीय सांद्रता सार्वजनिक स्वास्थ्य और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के कल्याण के लिए खतरा है। साथ ही, अधिक कुशल और प्रभावी संसाधन उपयोग और प्रदूषण की रोकथाम और GHG उत्सर्जन से बचाव और शमन प्रौद्योगिकियाँ और प्रथाएँ वस्तुतः दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में अधिक सुलभ और प्राप्य हो गई हैं। ये अकसर गुणवत्ता या उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली समान निरंतर सुधार पद्धतियों के माध्यम से लागू की जाती हैं, जो आम तौर पर अधिकांश औद्योगिक, कृषि, और सेवा क्षेत्र की कंपनियों को भली-भाँति ज्ञात हैं। यह निष्पादन मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं के अनुरूप संसाधन कुशलता और प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए परियोजना-स्तर के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। इसके अलावा, यह निष्पादन मानक निजी क्षेत्र की कंपनियों की परियोजना के संदर्भ में संभव उपयोग की सीमा तक ऐसी प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को अपनाने की क्षमता को बढ़ावा देता है, जो वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कौशल और संसाधनों पर निर्भर करती हैं।

PS 3 के उद्देश्य हैं: (i) परियोजना गतिविधियों से प्रदूषण से बचने या उसे न्यूनतम करके मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों से बचना या उसे न्यूनतम करना। (ii) ऊर्जा और जल सहित, संसाधनों के अधिक स्थायी उपयोग को बढ़ावा देना। (iii) परियोजना से संबंधित GHG उत्सर्जन को कम करना।

निष्पादन मानक 3 और इसके संबंधित कार्यान्वयन संसाधनों के पूर्ण टेक्स्ट तक निम्नलिखित लिंक के माध्यम से पहुँच जा सकता है: https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-3

4. निष्पादन मानक 4: सामुदायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, और सुरक्षा

निष्पादन मानक 4 स्वीकार करता है कि परियोजना की गतिविधियाँ, उपकरण, और बुनियादी ढांचा जोखिम और प्रभावों के लिए सामुदायिक जोखिम को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन से पहले ही प्रभावित समुदायों को भी परियोजना गतिविधियों के कारण प्रभावों में तेज़ी और/या सघनता का अनुभव हो सकता है। जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षा और रक्षा को बढ़ावा देने में सार्वजनिक अधिकारियों की भूमिका को स्वीकार करते हुए, यह निष्पादन मानक समुदाय के स्वास्थ्य, सुरक्षा और रक्षा के लिए जोखिमों और प्रभावों से बचने या उन्हें न्यूनतम करने के लिए ग्राहक का दायित्व शामिल करता है, जो परियोजना से संबंधित हो सकते हैं, जिसमें विशेष ध्यान कमज़ोर समूहों पर होता है।

संघर्ष और संघर्ष के बाद के क्षेत्रों में, इस निष्पादन मानक में वर्णित जोखिमों और प्रभावों का स्तर और अधिक हो सकता है। परियोजना जिस पहले ही संवेदनशील स्थानीय स्थिति को बढ़ा सकती है और दुर्लभ स्थानीय संसाधनों पर दबाव बना सकती है, उन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे आगे संघर्ष हो सकता है।

PS 4 के उद्देश्य हैं: (i) नेमी और गैर-नेमी दोनों परिस्थितियों से परियोजना काल के दौरान प्रभावित समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभावों का अनुमान लगाना और उनसे बचना। (ii) यह सुनिश्चित करना कि कर्मियों और संपत्ति की सुरक्षा संबंधित मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुसार और इस तरह की जाती है, जो प्रभावित समुदायों के लिए जोखिमों से बचाता है या उसे न्यूनतम करता है।

निष्पादन मानक 4 और इसके संबंधित कार्यान्वयन संसाधनों के पूर्ण टेक्स्ट तक निम्नलिखित लिंक के माध्यम से पहुँच जा सकता है: https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-4

5. निष्पादन मानक 5: भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास

निष्पादन मानक 5 स्वीकार करता है कि परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण और भूमि उपयोग पर प्रतिबंध का इस भूमि का उपयोग करने वाले समुदायों और व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण और/या भूमि उपयोग पर प्रतिबंध के परिणामस्वरूप, अनैच्छिक पुनर्वास भौतिक विस्थापन (आश्रय का स्थानांतरण या हानि) और आर्थिक विस्थापन (संपत्ति या संपत्ति तक पहुँच की हानि जो आय स्रोतों या आजीविका के अन्य साधनों की हानि की ओर जाता है) दोनों को संदर्भित करता है। पुनर्वास को अनैच्छिक तब माना जाता है, जब प्रभावित व्यक्तियों या समुदायों के पास भूमि अधिग्रहण या भूमि उपयोग पर प्रतिबंध से इनकार करने का अधिकार नहीं होता है, जिसके परिणामस्वरूप भौतिक या आर्थिक विस्थापन होता है। यह (i) क़ानूनी ज़ब्ती या भूमि के उपयोग पर अस्थायी या स्थायी प्रतिबंध और (ii) मोलभाव के निपटान, जिनमें विक्रेता के साथ मोलभाव विफल होने पर खरीदार ज़ब्ती कर सकता है या भूमि उपयोग पर क़ानूनी प्रतिबंध लगा सकता है।

जब तक ठीक से प्रबंधित नहीं किया जाता है, तब तक अनैच्छिक पुनर्वास के परिणामस्वरूप प्रभावित समुदायों और व्यक्तियों के लिए दीर्घकालिक कठिनाई और गरीबी पैदा हो सकती है, और साथ ही उन क्षेत्रों में पर्यावरणीय क्षति और प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं, जिनके लिए उन्हें विस्थापित किया गया है। इन कारणों से, अनैच्छिक पुनर्वास से बचा जाना चाहिए। मगर, जहाँ अनैच्छिक पुनर्वास से बचा नहीं जा सकता, इसे न्यूनतम किया जाना चाहिए

और विस्थापित व्यक्तियों और मेजबान समुदायों पर प्रतिकूल प्रभावों के शमन के लिए उचित उपायों को सावधानीपूर्वक नियोजित और कार्यान्वित किया जाना चाहिए। सरकार अकसर भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाती है, जिसमें मुआवजे का निर्धारण शामिल है, और इसलिए कई स्थितियों में महत्वपूर्ण तृतीय पक्ष होती है। अनुभव दर्शाता है कि पुनर्वास गतिविधियों में ग्राहक की प्रत्यक्ष भागीदारी के परिणामस्वरूप इन गतिविधियों का अधिक किफ़ायती, कुशल, और समय पर कार्यान्वयन हो सकता है, और साथ ही पुनर्वास से प्रभावित लोगों की आजीविका में सुधार के लिए अभिनव दृष्टिकोण की शुरुआत हो सकती है।

ज़ब्ती से बचने और स्थानांतरण को लागू करने के लिए सरकारी प्राधिकरण का उपयोग करने की आवश्यकता को खत्म करने में मदद करने के लिए, ग्राहकों को इस निष्पादन मानक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मोलभाव की निपटान बैठकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, भले ही उनके पास विक्रेता की सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण करने के क़ानूनी साधन हों।

PS 5 के उद्देश्य हैं: (i) वैकल्पिक परियोजना डिजाइनों की पड़ताल करके विस्थापन से बचना, और जब बचना संभव न हो, तो इसे न्यूनतम करें। (ii) जबरन बेदखली से बचना। (iii) भूमि अधिग्रहण या भूमि उपयोग पर प्रतिबंधों से प्रतिकूल सामाजिक और आर्थिक प्रभावों से बचना, या जहाँ बचना संभव न हो, वहाँ इसे न्यूनतम करना (i) प्रतिस्थापन लागत पर परिसंपत्तियों की हानि के लिए मुआवजा देकर और (ii) यह सुनिश्चित करके कि पुनर्वास गतिविधियों को सूचना के उचित प्रकटीकरण, परामर्श, और प्रभावित लोगों की सूचित भागीदारी के साथ लागू किया जाता है, (iv) विस्थापित व्यक्तियों की आजीविका और जीवन स्तर में सुधार करना, या उन्हें बहाल करना। (v) पुनर्वास स्थलों पर अवधि की सुरक्षा के साथ पर्याप्त आवास के प्रावधान के माध्यम से भौतिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए आवास की स्थिति में सुधार करना।

a) पुनर्वास फ़्रेमवर्क

जहाँ भौतिक और/या आर्थिक विस्थापन का कारण बनने की क्षमता वाली परियोजना से संबंधित भूमि अधिग्रहण की सटीक प्रकृति या परिमाण या भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध परियोजना विकास के चरण के कारण अज्ञात है, वहाँ ग्राहक इस निष्पादन मानक के साथ संगत सामान्य सिद्धांतों की रूपरेखा देते हुए पुनर्वास और/या आजीविका बहाली फ़्रेमवर्क विकसित करेगा। जब अलग-अलग परियोजना घटकों को परिभाषित कर लिया जाता है और आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो जाती है, तो इस तरह के फ़्रेमवर्क को [PS5 के] अनुच्छेद 19 और 25 के अनुसार विशिष्ट पुनर्वास कार्य योजना या आजीविका बहाली योजना और कार्य-विधियों में विस्तारित किया जाएगा।

निष्पादन मानक 5 और इसके संबंधित कार्यान्वयन संसाधनों के पूर्ण टेक्स्ट तक निम्नलिखित लिंक के माध्यम से पहुँच जा सकता है: https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-5

इस पर विस्तृत मार्गदर्शन देखें:

- IFC (2023) अच्छी प्रथा हैंडबुक – भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास - https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2023/ifc-handbook-for-land-acquisition-and-involuntary-resettlement.pdf
- IFC (2012) निष्पादन मानक 5 के लिए मार्गदर्शन नोट 2012-ifc-ps-guidance-note-5-en.pdf

6. निष्पादन मानक 6: जैव विविधता संरक्षण और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी प्रबंधन

निष्पादन मानक 6 स्वीकार करता है कि जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बनाए रखना, और जीवित प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी रूप से प्रबंधन स्थायी विकास का आधार है। इस निष्पादन मानक में निर्धारित आवश्यकताओं को जैव विविधता पर समझौते के द्वारा निर्देशित किया गया है, जो जैव विविधता को "सभी स्रोतों से जीवों के बीच विविधता, अन्य बातों के साथ, स्थलीय, समुद्री और अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिक परिसरों से जिनका वे हिस्सा हैं; जिसमें प्रजातियों के भीतर, प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र के बीच विविधता शामिल है" के रूप में परिभाषित करता है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ वे लाभ हैं, जो व्यापारों सहित, लोग, पारिस्थितिक तंत्र से प्राप्त करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को चार प्रकारों में व्यवस्थित किया जाता है: (i) उन सेवाओं का प्रावधान करना, जो वे उत्पाद हैं, जिन्हें लोग पारिस्थितिक तंत्र से प्राप्त हैं; (ii) सेवाओं को विनियमित करना, जो वे लाभ हैं, जिन्हें लोग पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रियाओं के विनियमन से प्राप्त करते हैं; (iii) सांस्कृतिक सेवाएँ, जो गैर-भौतिक लाभ हैं, जिन्हें लोग पारिस्थितिक तंत्र से प्राप्त करते हैं; और (iv) सहायक सेवाएँ, जो प्राकृतिक प्रक्रियाएँ हैं, जो अन्य सेवाओं को बनाए रखती हैं।

अकसर मानव द्वारा मूल्य दी जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को जैव विविधता द्वारा रेखांकित किया जाता है। इसलिए जैव विविधता पर प्रभाव अकसर पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यह निष्पादन मानक बताता है कि ग्राहक परियोजना के कालचक्र में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर प्रभावों का कैसे प्रबंधन और शमन कर सकते हैं।

PS 6 के उद्देश्यों में शामिल हैं: (i) जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण करना। (iii) पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से लाभ बनाए रखना। (iii) संरक्षण आवश्यकताओं और विकास प्राथमिकताओं को एकीकृत करने वाली प्रथाओं को अपनाने के माध्यम से जीवित प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देना।

निष्पादन मानक 6 और इसके संबंधित कार्यान्वयन संसाधनों के पूर्ण टेक्स्ट तक निम्नलिखित लिंक के माध्यम से पहुँच जा सकता है: https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-6

7. निष्पादन मानक 7: देशीय लोग

निष्पादन मानक 7 स्वीकार करता है कि ऐसे पहचान वाले सामाजिक समूहों के रूप में देशीय लोग, जो राष्ट्रीय समाजों में मुख्यधारा के समूहों से अलग हैं, अकसर आबादी के सबसे हाशिए पर और कमज़ोर वर्गों में होते हैं। कई मामलों में, उनकी आर्थिक, सामाजिक और क़ानूनी स्थिति भूमि और प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों में अपने अधिकारों और हितों की रक्षा करने की उनकी क्षमता को सीमित करती है, और विकास में भाग लेने और उसका लाभ उठाने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकती है। देशीय लोग विशेष रूप से कमज़ोर होते हैं, यदि उनकी भूमि और संसाधनों को रूपांतरित कर दिया जाता है, उन पर अतिक्रमण होता है, या उन्हें काफी कम कर दिया जाता है। उनकी भाषाओं, संस्कृतियों, धर्मों, आध्यात्मिक मान्यताओं, और संस्थानों को भी खतरा हो सकता है। परिणामस्वरूप, परियोजना विकास से जुड़े प्रतिकूल प्रभावों के प्रति गैर-देशीय समुदायों की तुलना में देशीय लोग अधिक कमज़ोर हो सकते हैं। इस कमज़ोरी में पहचान, संस्कृति, और प्राकृतिक संसाधन-आधारित आजीविका की हानि, और साथ ही गरीबी और बीमारियों से संपर्क शामिल हो सकता है।

निजी क्षेत्र की परियोजनाएँ देशीय लोगों के लिए परियोजना से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने, और उनसे लाभ उठाने के अवसर पैदा कर सकती हैं, जो उन्हें आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अपनी आकांक्षा को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा, देशीय लोग विकास में साझेदार के रूप में गतिविधियों और उद्यमों को बढ़ावा देने और प्रबंधित करके स्थायी विकास में भूमिका निभा सकते हैं। सरकार अकसर देशीय लोगों के मुद्दों के प्रबंधन में केंद्रीय भूमिका निभाती है, और ग्राहकों को अपनी गतिविधियों के जोखिमों और प्रभावों के प्रबंधन में जिम्मेदार अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए।

PS 7 के उद्देश्यों में शामिल हैं: (i) यह सुनिश्चित करना कि विकास प्रक्रिया देशीय लोगों के मानवाधिकारों, गरिमा, आकांक्षाओं, संस्कृति, और प्राकृतिक संसाधन-आधारित आजीविका के लिए पूर्ण सम्मान को मजबूत करती है। (ii) देशीय लोगों के समुदायों पर परियोजनाओं के प्रतिकूल प्रभावों का अनुमान लगाना और उनसे बचना, या जब बचना संभव न हो, तो इस तरह के प्रभावों को न्यूनतम करना और/या उनके लिए क्षतिपूर्ति करना। (iii) देशीय लोगों के लिए सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त तरीके से स्थायी विकास के लाभों और अवसरों को बढ़ावा देना। (iv) पूरे परियोजना काल-चक्र में परियोजना से प्रभावित देशीय लोगों के साथ सूचित परामर्श और भागीदारी (ICP) के आधार पर चल रहे संबंध को स्थापित करना और बनाए रखना। (v) जब इस निष्पादन मानक में वर्णित परिस्थितियाँ मौजूद हों, तो देशीय लोगों के प्रभावित समुदायों की स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (FPIC) सुनिश्चित करना। (vi) देशीय लोगों की संस्कृति, ज्ञान, और प्रथाओं का सम्मान और संरक्षण करना।

a) देशीय जन फ़्रेमवर्क

ग्राहक पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम और प्रभाव आकलन प्रक्रिया के माध्यम से, प्रभाव के परियोजना क्षेत्र के भीतर देशीय लोगों के सभी समुदायों, जो परियोजना से प्रभावित हो सकते हैं, और साथ ही उन पर अपेक्षित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक (सांस्कृतिक विरासत सहित), और पर्यावरणीय प्रभाव की प्रकृति और डिग्री की पहचान करेगा।

जहाँ संभव हो, वहाँ देशीय लोगों के प्रभावित समुदायों पर प्रतिकूल प्रभावों से बचा जाना चाहिए। जहाँ विकल्पों की पड़ताल कर ली गई हो और प्रतिकूल प्रभावों से बचा नहीं जा सकता, वहाँ ग्राहक इन प्रभावों को सांस्कृतिक रूप से उचित तरीके से न्यूनतम, बहाल और/या क्षतिपूर्ति करेगा, जो इस तरह के प्रभावों की प्रकृति और स्केल और देशीय लोगों के प्रभावित समुदायों की कमज़ोरी के अनुरूप हो। ग्राहक की प्रस्तावित कार्रवाइयों को देशीय लोगों के प्रभावित समुदायों के सूचित परामर्श और भागीदारी के साथ विकसित किया जाएगा और इनमें समयबद्ध योजना में निहित होगी, जैसे देशीय जन योजना, या देशीय लोगों के लिए अलग-अलग घटकों के साथ व्यापक सामुदायिक विकास योजना।[8]

निष्पादन मानक 7 और इसके संबंधित कार्यान्वयन संसाधनों के पूर्ण टेक्स्ट तक निम्नलिखित लिंक के माध्यम से पहुँच जा सकता है: https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-7

इस पर विस्तृत मार्गदर्शन देखें:

- निष्पादन मानक 7 के लिए IFC (2012) मार्गदर्शन नोट, अनुलग्नक A सहित - देशीय जन योजना 2012-ifc-ps-guidance-note-7-en.pdf

8. निष्पादन मानक 8: सांस्कृतिक विरासत

निष्पादन मानक 8 वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक विरासत के महत्व को स्वीकार करता है। विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित समझौते के अनुरूप, इस निष्पादन मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अपनी परियोजना गतिविधियों के दौरान ग्राहक सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करें। इसके अलावा, परियोजना द्वारा सांस्कृतिक विरासत के उपयोग पर इस निष्पादन मानक की आवश्यकताएँ जैव विविधता पर समझौते द्वारा निर्धारित मानकों पर आधारित हैं। PS 8 के उद्देश्यों में शामिल हैं: (i) सांस्कृतिक विरासत को परियोजना की गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाना और इसके परिरक्षण का समर्थन करना। (ii) सांस्कृतिक विरासत के उपयोग से लाभों के समान साझाकरण को बढ़ावा देना।

[8]उपयुक्त योजना के निर्धारण के लिए सक्षम पेशेवरों की इनपुट की आवश्यकता हो सकती है। सामुदायिक विकास योजना उन परिस्थितियों में उपयुक्त हो सकती है, जहाँ देशीय लोग बड़े प्रभावित समुदायों का हिस्सा हैं।

निष्पादन मानक 8 और इसके संबंधित कार्यान्वयन संसाधनों के पूर्ण टेक्स्ट तक निम्नलिखित लिंक के माध्यम से पहुँच जा सकता है: https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-8

III. IFC निष्पादन मानकों के लिए मार्गदर्शन नोट्स

IFC ने पर्यावरण और सामाजिक स्थायित्व पर निष्पादन मानकों के अनुरूप मार्गदर्शन नोट्स का सेट तैयार किया है। ये मार्गदर्शन नोट्स निष्पादन मानकों में निहित आवश्यकताओं पर सहायक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिसमें संदर्भ सामग्री, और परियोजना के निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए अच्छी स्थायित्व प्रथाएँ शामिल है। ये मार्गदर्शन नोट्स स्वयं नीति स्थापित करने के लिए अभिप्रेत नहीं हैं; इसके बजाय, वे निष्पादन मानकों में आवश्यकताओं को स्पष्ट करते हैं।

IFC उम्मीद करता है कि निष्पादन मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक ग्राहक अपने व्यापार के लिए सबसे उपयुक्त विधियों को नियोजित करेगा। निष्पादन मानकों को पूरा करने के लिए ग्राहक की सहायता के लिए, IFC मेजबान देश का संदर्भ, परियोजना के प्रभावों का स्केल और जटिलता, और संबंधित लागत-लाभ विचार जैसे, और साथ ही निष्पादन मानकों में आवश्यक स्तर से परे परियोजना के निष्पादन के वेरिएबल्स शामिल करेगा। मार्गदर्शन नोट्स सहायक सलाह प्रदान करते हैं, लेकिन निष्पादन मानकों के अनुरूप परियोजना निर्णय लेने के लिए ग्राहकों और IFC कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ठोस निर्णय और विवेक का स्थानापन्न नहीं करते हैं।

निष्पादन मानक से संबंधित प्रत्येक मार्गदर्शन नोट के पूरे टेक्स्ट तक पूर्ववर्ती अनुभागों में चर्चा किए गए प्रत्येक निष्पादन मानक के लिए प्रदान किए गए संबंधित कार्यान्वयन संसाधनों के लिंक के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।

IV. WBG EHS दिशानिर्देश[9]

पर्यावरण, स्वास्थ्य, और सुरक्षा (EHS) दिशानिर्देश अच्छी अंतर्राष्ट्रीय उद्योग प्रथा (GIIP) के सामान्य और उद्योग-विशिष्ट उदाहरणों के साथ तकनीकी संदर्भ दस्तावेज़ हैं और उन्हें विश्व बैंक के पर्यावरण और सामाजिक ढांचे और IFC के निष्पादन मानकों में संदर्भित किया गया है।

EHS दिशानिर्देशों में वे निष्पादन स्तर और उपाय शामिल हैं, जो विश्व बैंक समूह को आम तौर पर स्वीकार्य होते हैं, और जिन्हें आम तौर पर मौजूदा प्रौद्योगिकी द्वारा उचित लागत पर नए परिसरों में प्राप्त करने योग्य माना जाता है। विश्व बैंक समूह की आवश्यकता होती है कि उधारकर्ता/ग्राहक EHS दिशानिर्देशों के संबंधित स्तर या उपायों को लागू करें। जब मेजबान देश के विनियम EHS दिशानिर्देशों में प्रस्तुत स्तरों और उपायों से भिन्न होते हैं, तो परियोजनाओं को अधिक कठोर को प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

सामान्य EHS दिशानिर्देशों के पूर्ण टेक्स्ट के साथ-साथ विशिष्ट उद्योग क्षेत्र दिशानिर्देशों के लिए संबंधित पोर्टलों के लिंक तक निम्नलिखित लिंक के माध्यम से पहुँचा जा सकता है: https://www.ifc.org/en/insights-reports/2000/general-environmental-health-and-safety-guidelines

A. सामान्य EHS दिशानिर्देश

सामान्य EHS दिशानिर्देशों में सभी उद्योग क्षेत्रों के लिए संभावित रूप से लागू पर्यावरण, स्वास्थ्य, और सुरक्षा मुद्दों पर परस्पर-मिश्रित जानकारी शामिल है। इस दस्तावेज़ का उपयोग संबंधित उद्योग क्षेत्र दिशानिर्देश(ओं) के साथ किया जाना चाहिए।

[9] विश्व बैंक समूह पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशानिर्देश (ifc.org)

B. जल और स्वच्छता के लिए पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशानिर्देश (2007)[10]

जल और स्वच्छता के लिए EHS दिशानिर्देशों में (i) पेय जल उपचार और वितरण प्रणालियों, और (ii) केंद्रीकृत प्रणालियों में सीवेज के संग्रह (जैसे पाइप वाले सीवर संग्रह नेटवर्क) या विकेन्द्रीकृत प्रणालियों (जैसे सेप्टिक टैंक जिन्हें बाद में पंप ट्रकों द्वारा सर्विस किया जाता है) और एकत्रित सीवेज के केंद्रीकृत सुविधाओं पर उपचार के संचालन और रखरखाव के लिए संबंधित जानकारी शामिल है।

जल और स्वच्छता परियोजनाओं से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दे मुख्य रूप से परियोजना-विशिष्ट विशेषताओं और घटकों के आधार पर निर्माण और संचालन चरणों के दौरान हो सकते हैं। निर्माण गतिविधियों से जुड़े EHS मुद्दों के प्रबंधन के लिए सिफारिशें जो आम तौर पर सिविल कार्यों के निर्माण पर भी लागू होती हैं, सामान्य EHS दिशानिर्देशों में दी गई हैं।

जल और स्वच्छता के लिए EHS दिशानिर्देशों में, अन्य के अलावा, निम्नलिखित क्षेत्र-विशिष्ट पहलू शामिल हैं:

- पेय जल
    - जल निकासी
    - जल उपचार
        - ठोस अपशिष्ट
        - अपशिष्ट जल
        - खतरनाक रसायन
        - वायु उत्सर्जन
    - जल वितरण
        - जल प्रणाली रिसाव और दबाव की हानि
        - जल डिस्चार्ज
- स्वच्छता
    - मल कीचड़ और सेप्टेज संग्रह
    - सीवरेज
        - घरेलू अपशिष्ट डिस्चार्ज
        - औद्योगिक अपशिष्ट डिस्चार्ज
        - रिसाव और ओवरफ़्लो
    - अपशिष्ट जल और कीचड़ उपचार और डिस्चार्ज
        - तरल अपशिष्ट
        - ठोस अपशिष्ट
        - वायु उत्सर्जन और गंध
        - खतरनाक रसायन
- पेशे-संबंधी स्वास्थ्य और सुरक्षा
- सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा
- निष्पादन संकेतक और उद्योग बेंचमार्क

[10] Water and Sanitation - Final - December 7.doc (ifc.org)

V. लिंग

विश्व बैंक समूह लैंगिक रणनीति(FY16-23) उस समर्थन की रूपरेखा देती है, जिसे IFC सहित संपूर्ण WBG, ग्राहक देशों और कंपनियों को लिंग समावेश की दिशा में प्रदान करेगा। यह समर्थन और अधिक लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो गरीबी को कम करने और समृद्धि बढ़ाने की कुंजी है। WBG लिंग रणनीति 2016-23 के कार्यान्वयन पर निर्माण, नई WBG लिंग रणनीति 2024 - 30, जिसका 2024 में लॉन्च निर्धारित है, वैश्विक विकास के लिए अनिवार्य सभी के लिए लिंग समानता के करीब आने के लिए - अधिक महत्वाकांक्षा के साथ संलग्न होने का प्रस्ताव है।[11]

IFC की स्थायित्व नीति: "IFC का मानना है कि मजबूत आर्थिक विकास और गरीबी में कमी लाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे निजी क्षेत्र के विकास का अनिवार्य हिस्सा हैं। IFC अपने ग्राहकों से व्यापार गतिविधियों और अनायास लिंग विभेदित प्रभावों से लिंग से संबंधित जोखिमों को न्यूनतम करने की उम्मीद करता है। यह स्वीकार करते हुए कि महिलाओं को अकसर लिंग असमानता के कारण अपनी आर्थिक क्षमता प्राप्त करने से रोका जाता है, IFC अपने निवेश और सलाहकार गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं के लिए अवसर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।[12]

IFC निष्पादन मानक: "जलवायु परिवर्तन, लिंग, मानवाधिकार, और जल जैसे कई परस्पर-मिश्रित विषयों पर कई निष्पादन मानकों में शामिल किया गया है।"[13] निष्पादन मानक 1 के अनुसार "जहाँ परियोजना में विशेष रूप से पहचाने गए भौतिक तत्व, पहलू और सुविधाएँ शामिल हैं, जिनके द्वारा प्रभाव उत्पन्न करने की संभावना है, और जोखिमों और प्रभावों की पहचान करने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, ग्राहक उन व्यक्तियों और समूहों की पहचान करेगा, जो अपनी वंचित या कमज़ोर स्थिति के कारण सीधे और अलग-अलग या असंगत रूप से परियोजना से प्रभावित हो सकते हैं। FN18: यह वंचित या कमज़ोर स्थिति व्यक्ति या समूह की प्रजाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म, या अन्य स्थिति से पैदा हो सकती है। ग्राहक को लिंग, आयु, जातीयता, संस्कृति, साक्षरता, बीमारी, शारीरिक या मानसिक विकलांगता, गरीबी या आर्थिक वंचना, और अद्वितीय प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता जैसे कारकों पर भी विचार करना चाहिए।"[14]

VI. परियोजना की तैयारी और कार्यान्वयन के दौरान E&S जोखिम प्रबंधन

A. पर्यावरण और सामाजिक उचित जाँच-पड़ताल

निवेश गतिविधियों के लिए समग्र दृष्टिकोण: पर्यावरण और सामाजिक उचित जाँच-पड़ताल सभी IFC निवेश गतिविधियों पर लागू होती है। IFC की पर्यावरण और सामाजिक उचित जाँच-पड़ताल IFC की समग्र विचाराधीन व्यापारिक गतिविधि की उचित जाँच-पड़ताल में एकीकृत है, जिसमें वित्तीय और प्रतिष्ठा-संबंधी जोखिमों की समीक्षा शामिल है। IFC प्रस्तावित व्यापारिक गतिविधियों की लागत और लाभों का आकलन करता है और प्रस्तावित गतिविधि के लिए अपने औचित्य और विशिष्ट शर्तों को व्यक्त करता है। जब निवेश गतिविधि स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाती है,

[11] लैंगिक समानता और आर्थिक समावेश | अंतर्राष्ट्रीय वित्त स्थायी (IFC) | www.ifc.org/gender
[12] IFC (2012) स्थायित्व नीति अनुच्छेद 13।
[13] IFC (2012) निष्पादन मानक अनुच्छेद 4.
[14] IFC (2012) निष्पादन मानक 1 अनुच्छेद 12.

तो इन्हें IFC के निदेशक मंडल के सामने पेश किया जाता है।

IFC केवल उन्हीं निवेश गतिविधियों का वित्तपोषण करेगा, जिनसे उचित अवधि के भीतर निष्पादन मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने की उम्मीद है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने में लगातार देरी से IFC से वित्तीय समर्थन की हानि हो सकती है।

कई बार, निष्पादन मानकों के अनुरूप पर्यावरणीय या सामाजिक परिणामों को प्राप्त करने की ग्राहक की क्षमता तृतीय पक्ष की कार्रवाइयों पर निर्भर होगी। तृतीय पक्ष नियामक क्षमता में सरकारी एजेंसी या अनुबंध पार्टी, ठेकेदार या प्राथमिक आपूर्तिकर्ता, जिसके साथ व्यापारिक गतिविधि में पर्याप्त भागीदारी होती है, या संबद्ध परिसर का ऑपरेटर हो सकता है (जैसा निष्पादन मानक 1 में परिभाषित किया गया है)। अपनी उचित जाँच-पड़ताल प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, IFC ग्राहकों की तृतीय पक्ष के जोखिमों की पहचान की समीक्षा करेगा, और निर्धारित करेगा कि क्या इस तरह के जोखिम प्रबंधनीय हैं, और यदि ऐसा है तो किन शर्तों के तहत, ताकि निष्पादन मानकों के अनुरूप परिणाम पैदा किए जा सकें। कुछ जोखिमों के लिए IFC को प्रस्तावित व्यापारिक गतिविधि का समर्थन करने से बचना पड़ सकता है।

ग्राहकों की गतिविधियों के वित्त-पोषण से संबंधित IFC के समझौतों में विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं, ग्राहक जिनका अनुपालन करने का वचन देते हैं। इनमें निष्पादन मानकों की लागू आवश्यकताओं और कार्य योजनाओं में शामिल विशिष्ट शर्तों, और साथ ही पर्यावरण और सामाजिक रिपोर्टिंग के लिए संबंधित प्रावधानों, और IFC कर्मचारियों या प्रतिनिधियों द्वारा पर्यवेक्षण विज़िट्स का अनुपालन करना शामिल है। यदि ग्राहक क़ानूनी समझौतों और संबंधित दस्तावेज़ों में व्यक्त की गई अपनी पर्यावरणीय और सामाजिक प्रतिबद्धताओं का पालन करने में विफल रहता है, तो IFC इसे अनुपालन में वापस लाने के लिए ग्राहक के साथ काम करेगा, और यदि ग्राहक अनुपालन को फिर से स्थापित करने में विफल रहता है, तो IFC अपने अधिकारों और उपायों का उपयोग करेगा, जैसा उपयुक्त होगा।

IFC की आवश्यकता है कि जब उनके कारोबार में भौतिक परिवर्तन होता है या जब वे नए व्यापार क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बनाते हैं जो IFC बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करते समय प्रतिनिधित्व किए जाने से भौतिक रूप से अलग है, तो ग्राहक IFC को सूचित करे। ऐसी परिस्थितियों में, IFC आकलन करेगा कि क्या नया व्यापार क्षेत्र पर्यावरण और/या सामाजिक जोखिम और/या प्रभाव पैदा करता है, और यदि ऐसा है, तो IFC की अपेक्षा होगी कि ग्राहक अपनी पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ESMS) को (i) इन नए व्यापारों के भौतिक परिवर्तनों से जुड़े संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों; (ii) इस नीति; और (iii) निष्पादन मानकों की लागू आवश्यकताओं के अनुरूप तरीके से समायोजित करे। IFC ग्राहक से अनुरोध कर सकता है कि वह इन नए व्यापारों के क्षेत्रों में वित्त-पोषित गतिविधियों के लिए अपनी पर्यावरणीय और सामाजिक उचित जाँच-पड़ताल के परिणाम प्रदान करे।

पर्यावरण और सामाजिक स्थायित्व पर नीति के पूरे टेक्स्ट तक इस लिंक के माध्यम से पहुँच जा सकता है, जिसमें से यह अनुभाग, और आगामी उप-अनुभाग लिए गए हैं: https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/publications-policy-sustainability-2012

ये भी देखें https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/ifc-process.pdf.

1. प्रत्यक्ष निवेश

IFC की पर्यावरण और सामाजिक उचित जाँच-पड़ताल प्रकृति, स्केल, और व्यापार गतिविधि के चरण, और पर्यावरण और सामाजिक जोखिम और प्रभावों के स्तर के अनुरूप होती है। IFC उन सभी नए प्रत्यक्ष निवेश की उचित जाँच-पड़ताल आयोजित करता है, जिन पर IFC समर्थन के लिए विचार किया जा रहा है, चाहे वे डिजाइन चरण में हों, निर्माण में, या संचालन में। जहाँ उचित जाँच-पड़ताल के समय निधियों का प्रस्तावित उपयोग पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया

जाता, वहाँ IFC के जोखिम प्रबंधन विचारों के हिस्से के रूप में ग्राहक की अन्य व्यापारिक गतिविधियों को कवर करने के लिए IFC की पर्यावरण और सामाजिक उचित जाँच-पड़ताल का विस्तार किया जा सकता है। जहाँ व्यापारिक गतिविधि से जुड़े महत्वपूर्ण पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभाव होते हैं, जिनमें अन्य द्वारा पैदा किए गए अतीत या वर्तमान के प्रतिकूल प्रभाव शामिल हैं, संभावित उपचार उपायों को निर्धारित करने के लिए IFC अपने ग्राहक के साथ काम करता है।

ग्राहक की व्यापारिक गतिविधि के संबंध में IFC का निवेश समय अलग-अलग लेनदेन में अलग-अलग होता है। IFC की संलग्नता अकसर व्यापारिक गतिविधि की कल्पना कर लिए जाने के बाद होती है, जिसमें साइट चुन ली जाती है और विकास शुरू हो चुका होता है। ऐसे मामलों में, निवेश पर IFC के विचार करने से पहले, IFC पहले ही मौजूद ESMS और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं, और साथ ही ग्राहक और/या किसी तृतीय पक्ष द्वारा किए गए पर्यावरण और सामाजिक आकलन और सामुदायिक संलग्नता की समीक्षा करेगा। जब IFC की भागीदारी निवेश डिजाइन के शुरुआती चरणों में होती है, तो IFC ग्राहक को विशिष्ट जोखिमों और प्रभावों का अनुमान लगाने और कार्रवाई करने; अवसरों की पहचान करने में; और समूचे निवेश काल इनका प्रबंधन करने में अधिक प्रभावी ढंग से समर्थन करने में सक्षम होता है।

पर्यावरण और सामाजिक उचित जाँच-पड़ताल में आम तौर पर निम्नलिखित प्रमुख घटक शामिल होते हैं: (i) व्यापारिक गतिविधि के सभी उपलब्ध पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों से संबंधित जानकारी, रिकॉर्ड और प्रलेखन की समीक्षा करना; (ii) साइट निरीक्षण करना और ग्राहक के कर्मियों और संबंधित हितधारकों के साक्षात्कार करना, जहाँ उपयुक्त हो; (iii) निष्पादन मानकों और विश्व बैंक समूह पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा दिशानिर्देशों या अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्रोतों के प्रावधानों की आवश्यकताओं के संबंध में व्यापारिक गतिविधि के पर्यावरणीय और सामाजिक निष्पादन का विश्लेषण करना; और (iv) इसमें किसी अंतराल, और ग्राहक की मौजूद प्रबंधन प्रथाओं द्वारा पहचाने गए अतिरिक्त उपायों और कार्यों से परे संबंधित अतिरिक्त उपायों और कार्रवाइयों की पहचान करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापारिक गतिविधि निष्पादन मानकों को पूरा करती है, IFC इन पूरक कार्रवाइयों (पर्यावरण और सामाजिक कार्य योजना) को IFC के निवेश की आवश्यक शर्तें बनाता है।

आय के परिभाषित उपयोग और स्पष्ट रूप से परिभाषित पर्यावरणीय और सामाजिक उपस्थिति के साथ व्यापारिक गतिविधियों के मामलों में, पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम प्रबंधन के बारे में IFC की आवश्यकताएँ IFC द्वारा प्रदान किए गए धन से वित्त-पोषित व्यापारिक गतिविधियों पर लागू होंगी। तथापि, IFC अपने ग्राहकों को अपने सभी संचालनों में पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों का लगातार प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

ऐसे मामलों में जहाँ वित्त-पोषित की जाने वाली व्यापार गतिविधि द्वारा समुदायों (यानी, प्रभावित समुदायों) पर भावी प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने की संभावना है या देशीय लोगों पर भावी प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करने की संभावना है, IFC ग्राहकों द्वारा सूचित परामर्श और भागीदारी (ICP) की प्रक्रिया में संलग्न होने की उम्मीद करता है। ऐसे मामलों में, अपनी खुद की जाँच के माध्यम से, IFC यह निर्धारित करेगा कि क्या ग्राहक की सामुदायिक संलग्नता ऐसी है, जिसमें ICP शामिल है और प्रभावित समुदायों की भागीदारी को सक्षम बनाती है, जिससे प्रभावित समुदायों द्वारा व्यापारिक गतिविधि के लिए व्यापक सामुदायिक समर्थन मिलता है। व्यापक समुदाय समर्थन, प्रस्तावित व्यापारिक गतिविधि के समर्थन में प्रभावित समुदायों द्वारा, व्यक्तियों या उनके मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों के माध्यम से अभिव्यक्तियों का संग्रह है। BCS हो सकता है, भले ही कुछ व्यक्ति या समूह व्यापारिक गतिविधि पर आपत्ति करें। बोर्ड द्वारा व्यापार गतिविधि की स्वीकृति के बाद, IFC अपने पोर्टफ़ोलियो पर्यवेक्षण के हिस्से के रूप में ग्राहक की सामुदायिक संलग्नता की प्रक्रिया की निगरानी करना जारी रखता है।

इसके अलावा, जहाँ प्रस्तावित व्यापारिक गतिविधि देशीय लोगों की निःशुल्क, पूर्व, और सूचित सहमति के निष्पादन मानक 7 की आवश्यकता को ट्रिगर करती है, वहाँ IFC अपनी पर्यावरण और सामाजिक उचित जाँच-पड़ताल के हिस्से के रूप में ग्राहक द्वारा आयोजित प्रक्रिया की गहन समीक्षा करेगा।

B. पर्यावरण और सामाजिक वर्गीकरण

प्रस्तावित निवेश के पर्यावरण और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों की समीक्षा के हिस्से के रूप में, IFC जोखिमों और प्रभावों की मात्रा को प्रतिबिंबित करने के लिए पर्यावरण और सामाजिक वर्गीकरण की प्रक्रिया का उपयोग करता है। यह परिणामी श्रेणी IFC की सूचना नीति तक पहुँच के अनुसार प्रकटीकरण के लिए IFC की संस्थागत आवश्यकताओं को भी निर्दिष्ट करती है। ये श्रेणियाँ हैं:

श्रेणी A: संभावित महत्वपूर्ण प्रतिकूल पर्यावरणीय या सामाजिक जोखिमों और/या प्रभावों वाली व्यापारिक गतिविधियाँ जो विविध, अपरिवर्तनीय, या अभूतपूर्व हैं।

श्रेणी B: संभावित सीमित प्रतिकूल पर्यावरणीय या सामाजिक जोखिमों और/या प्रभावों वाली व्यापारिक गतिविधियाँ जिनकी संख्या कम है, आम तौर पर साइट-विशिष्ट हैं, काफी हद तक प्रतिवर्ती, और जिन पर शमन उपायों के माध्यम से आसानी से कार्रवाई की जाती हैं।

श्रेणी C: न्यूनतम या बिना किसी प्रतिकूल पर्यावरणीय या सामाजिक जोखिम और/या प्रभाव वाली व्यापारिक गतिविधियाँ।

अधिक जानकारी के लिए, E&S वर्गीकरण पर IFC व्याख्या नोट देखें (1 जनवरी 2012)[15]

C. पर्यवेक्षण

अपने पोर्टफ़ोलियो पर्यवेक्षण प्रोग्राम के हिस्से के रूप में IFC अपने निवेश और सलाहकार गतिविधियों की निगरानी के लिए निम्नलिखित कार्य करता है:

प्रत्यक्ष निवेश

- IFC की पर्यावरण और सामाजिक समीक्षा कार्य-विधियों की आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण और सामाजिक जोखिम और/या प्रभावों वाली व्यापारिक गतिविधियों के लिए पर्यवेक्षण के नियमित प्रोग्राम लागू करना।
- निवेश और ग्राहक की प्रतिबद्धताओं के लिए पर्यावरण और सामाजिक स्थितियों के प्रति कार्यान्वयन निष्पादन की समीक्षा करना, जैसा ग्राहक की वार्षिक निगरानी रिपोर्ट और पर्यावरण और सामाजिक कार्य योजना पर अपडेट में बताया गया है। जहाँ प्रासंगिक हो, वहाँ स्थायित्व के मोर्चे पर ग्राहक के निष्पादन में सुधार के लिए अवसरों की पहचान और समीक्षा करना।
- यदि परिवर्तित व्यापारिक गतिविधि की परिस्थितियों में परिवर्तित या प्रतिकूल पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं, तो उन पर कार्रवाई करने के लिए IFC ग्राहक के साथ काम करेगा।
- यदि ग्राहक निवेश के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक स्थितियों में व्यक्त की गई अपनी पर्यावरणीय और सामाजिक प्रतिबद्धताओं का पालन करने में विफल रहता है, तो IFC इसे अनुपालन में वापस लाने के लिए ग्राहक के साथ संभव सीमा तक काम करेगा, और यदि ग्राहक अनुपालन को फिर से स्थापित करने में विफल रहता है, तो IFC उपायों का उपयोग करेगा, जैसा उपयुक्त होगा।

[15] Microsoft Word - Interpretation Note on E&S Categorization December 21.docx (ifc.org)

VII. सूचना नीति तक पहुँच (AIP)[16]

पर्यावरण और सामाजिक जानकारी। निष्पादन मानकों के अनुसार, IFC की आवश्यकता है कि इसके ग्राहक जानकारी के प्रकटीकरण के माध्यम से सहित, उन जोखिमों और प्रभावों के अनुरूप तरीके से प्रभावित समुदायों के साथ संलग्न हों, जो उनकी परियोजनाएँ ऐसे हितधारकों के लिए पैदा कर सकती हैं। IFC निम्नलिखित पर्यावरणीय और सामाजिक जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराता है: (ए) प्रत्यक्ष निवेश। प्रत्येक प्रस्तावित श्रेणी ए और बी परियोजना के लिए, IFC अपने समीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों के सारांश, पर्यावरण और सामाजिक समीक्षा सारांश (ESRS) का खुलासा करता है। ESRS में शामिल हैं: (i) निष्पादन मानकों और CAO सहित किसी लागू शिकायत तंत्र का संदर्भ; (ii) परियोजना के वर्गीकरण के लिए IFC का औचित्य; (iii) परियोजना के मुख्य पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का विवरण; (iv) उन जोखिमों और प्रभावों के शमन के लिए पहचाने गए प्रमुख उपाय, किसी पूरक कार्रवाई को निर्दिष्ट करना, जिन्हें परियोजना को निष्पादन मानकों के अनुरूप संचालित करने के लिए लागू करने की आवश्यकता होगी, या जहाँ IFC, पर्यावरण और सामाजिक कार्य योजना (ESAP) द्वारा आवश्यक है; (v) जहाँ 25,000 मीट्रिक टन से अधिक CO2 समतुल्य है, वहाँ परियोजना का अपेक्षित GHG उत्सर्जन; (vi) ग्राहक द्वारा या उसकी ओर से तैयार किए गए किसी संबंधित पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ESIA) दस्तावेज़ों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ या वेब लिंक, जहाँ उपलब्ध हों; और (vii) उन परियोजनाओं के लिए जहाँ देशीय लोगों की स्वतंत्र, पूर्व, और सूचित सहमति (FPIC) का सत्यापन आवश्यक है, वहाँ उस सहमति प्रक्रिया की स्थिति का विवरण।

प्रत्येक निवेश के लिए, उनके अलावा जिनमें न्यूनतम या कोई पर्यावरणीय या सामाजिक प्रतिकूल जोखिम और/या प्रभाव न होने की उम्मीद है, IFC निम्नलिखित पर्यावरणीय और सामाजिक जानकारी के साथ ESRS या SII को अपडेट करता है, जब यह उपलब्ध हो जाता है:

(a) IFC द्वारा अपेक्षित कोई भी ESAP, जो निवेश की स्वीकृति के बाद
IFC के निदेशक मंडल (या अन्य संबंधित आंतरिक प्राधिकरण) द्वारा तैयार किया गया हो; और

(b) ESAP के कार्यान्वयन की स्थिति, जहाँ IFC द्वारा आवश्यक हो।

श्रेणी A और B निवेश के लिए, IFC इन्हें भी उपलब्ध करवाएगा, यदि लागू हो:

(c) IFC द्वारा समीक्षा किया गया कोई ESIA, जब वे उपलब्ध होते हैं; और

(d) तृतीय पक्ष की निगरानी रिपोर्ट, जहाँ IFC द्वारा निष्पादन मानकों के अनुसार आवश्यक हो।

सूचना नीति तक पहुँच के पूरे टेक्स्ट तक इस लिंक के माध्यम से पहुँच जा सकता है: https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/2012-ifc-access-to-information-policy-en.pdf

[16] प्रकटीकरण - सूचना नीति तक पहुँच (AIP) (ifc.org)

VIII. शिकायत निवारण

A. IFC शिकायत निवारण तंत्र[17]

सकारात्मक E&S परिणामों को प्राप्त करने और जवाबदेही के लिए IFC की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए बाहरी हितधारकों द्वारा उठाई गई पर्यावरणीय और सामाजिक शिकायतों का जवाब देना महत्वपूर्ण है। IFC ने E&S शिकायतों के प्रति जवाबदेही को सुविधाजनक बनाने के लिए संस्थागत स्तर की शिकायत तंत्र की स्थापना की है। E&S शिकायत प्राप्त करते समय, IFC शिकायतकर्ताओं के साथ संलग्न होता है और ग्राहकों के साथ काम करता है, ताकि E&S चिंताओं के समाधान को जल्द से जल्द और कुशलता से खोजा जा सके।

B. अनुपालन सलाहकार/लोकपाल[18]

IFC अपने ग्राहकों को प्रभावित समुदायों से संबंधित परिवादों और शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए उचित तंत्र और/या कार्य-विधियाँ को स्थापित करने और प्रशासित करने की आवश्यकता के द्वारा उनकी व्यापारिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करने में समर्थन देता है। इन तंत्रों और कार्य-विधियों के अलावा, मेजबान देश में उपलब्ध प्रशासनिक और/या क़ानूनी कार्य-विधियों की भूमिका पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसके बावजूद, ऐसे मामले हो सकते हैं, जहाँ IFC-समर्थित व्यापारिक गतिविधियों से प्रभावित लोगों के परिवाद और शिकायतें व्यापारिक गतिविधि स्तर पर या अन्य स्थापित तंत्रों के माध्यम से पूरी तरह से हल नहीं होतीं।

जवाबदेही और प्रभावित समुदायों की चिंताओं और शिकायतों पर उचित, वस्तुनिष्ठ, और रचनात्मक तरीके से कार्रवाई करने के महत्व को पहचानते हुए, अनुपालन सलाहकार/लोकपाल (CAO) के माध्यम से एक तंत्र स्थापित किया गया है, ताकि IFC-समर्थित व्यापारिक गतिविधियों से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों को स्वतंत्र निरीक्षण प्राधिकरण के सामने अपनी चिंताओं को उठाने में सक्षम बनाया जा सके।

CAO, IFC प्रबंधन से स्वतंत्र है और सीधे विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है। CAO, IFC-समर्थित व्यापारिक गतिविधियों से प्रभावित लोगों की शिकायतों का जवाब देता है, जिसका लक्ष्य जमीन पर पर्यावरण और सामाजिक परिणामों को बढ़ाना और IFC की अधिक सार्वजनिक जवाबदेही को मज़बूत करना है। CAO, CAO की विवाद समाधान शाखा के माध्यम से लचीले समस्या-समाधान दृष्टिकोण का उपयोग करके शिकायतों को हल करने के लिए काम करता है। CAO अपनी अनुपालन शाखा के माध्यम से, CAO के संचालन दिशानिर्देशों के अनुसार IFC के पर्यावरण और सामाजिक निष्पादन के परियोजना-स्तर के ऑडिट की देखरेख करता है।

शिकायत IFC-समर्थित व्यापारिक गतिविधियों के किसी भी पहलू से संबंधित हो सकती है, जो CAO के जनादेश के भीतर है। वे IFC-वित्त-पोषित व्यापारिक गतिविधि के पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभावों से प्रभावित या होने की संभावना वाले किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय, इकाई, या अन्य पार्टी द्वारा की जा सकती हैं।

CAO नीति के पूरे टेक्स्ट तक इस लिंक के माध्यम से पहुँच जा सकता है: https://www.ifc.org/en/about/accountability/cao-policy-consultation

[17] https://www.ifc.org/en/what-we-do/sector-expertise/sustainability/submitting-environmental-social-complaints-to-ifc

[18] होम | अनुपालन सलाहकार/लोकपाल का कार्यालय (cao-ombudsman.org)

परिशिष्ट 1. मुख्य संदर्भ दस्तावेज़

IFC (2007) हितधारक संलग्नता: उभरते बाज़ारों में व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए अच्छी प्रथा हैंडबुक हितधारक संलग्नता: उभरते बाज़ारों में व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए अच्छी प्रथा हैंडबुक (ifc.org)

IFC (2012) IFC स्थायित्व फ्रेमवर्क - https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/ifc-sustainability-framework.pdf

IFC (2017) अच्छी प्रथा नोट: ठेकेदारों के पर्यावरण और सामाजिक निष्पादन का प्रबंधन - https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/p-gpn-escontractormanagement.pdf

IFC (2017) अच्छी प्रथा हैंडबुक: सुरक्षा बलों का उपयोग: जोखिम और प्रभावों का आकलन और प्रबंधन - https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/p-handbook-securityforces-2017.pdf

IFC व सामाजिक जवाबदेही अंतर्राष्ट्रीय (SAI) (2007) उपाय व अपने श्रम मानकों के निष्पादन में सुधार। निष्पादन मानक 2 श्रम और कामकाजी स्थितियों के लिए हैंडबुक -https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/sai-ifc-laborhandbook.pdf

IFC (2023) अच्छी प्रथा हैंडबुक – भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास - https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2023/ifc-handbook-for-land-acquisition-and-involuntary-resettlement.pdf

IFC (2009) परियोजना प्रभावित समुदायों से शिकायतों पर कार्रवाई करने पर अच्छी प्रथा नोट - https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/ifc-grievance-mechanisms.pdf.

IFC/MIGA (2021) स्वतंत्र जवाबदेही तंत्र (CAO) नीति - https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2023/ifc-miga-independent-accountability-mechanism-cao-policy.pdf